

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/ 813

दिनांक - 24.02.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मोतीराम पुत्र लुम्बाराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट, जाणियों की ढाणी, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर 2 पन्नालाल पुत्र लुम्बाराम जाति जाट निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


1. पहाड़सिंह पुत्र सांवतसिंह वगैराह जातियान राजपूत निवासी निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-472/2023

दिनांक- 07/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लोल्टी हाईट बड़ा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 748/511 रकबा 8.7169 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 814-17

दिनांक- 24.02.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण मोतीराम पुत्र लुम्बाराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट, जाणियों की ढाणी, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण पहाड़सिंह पुत्र सांवतसिंह वगैराह जातियान राजपूत निवासी निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर